बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006

बाल विवाह दंडनीय अपराध हैं।

कम उम्र में शादी,
लड़का व लड़की के भविष्य की बर्बादी।

महिला एवं बाल विकास विभाग
बेज न० 15-20, सैक्टर-4, पंचकूला, हरियाणा

बाल विवाह क्या है?

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के को नाबालिग माना जाता हैं।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानः—

- 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह करना संज्ञेय और गैर–जमानती अपराध है।
- ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, उसको बढ़ावा देता है या उस में सहायता देता है, उसको दो साल तक की कड़ी कैद और एक लाख रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।
- नाबालिग लड़की से शादी करने वाले 18 साल से अधिक उम्र के पुरूष को दो साल तक की कड़ी कैद या एक लाख रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

- बाल विवाहित बच्चा बालिग होने के दो साल के अन्दर अपने विवाह को खारिज करवा सकता है।

बाल विवाह अकृत और शून्य (कानून की नजर में विवाह न होना) माना जायेगा यदि :

- नाबालिग को उसके माता पिता की संरक्षा से ले जाया जाये / बहकाया जाये।
- नाबालिग को किसी स्थान से जाने के लिए बाध्य किया जाये या धोखे से ले जाया जाए।
- नाबालिग को विवाह के प्रयोजन हेतू बेचा जाये।
- नाबालिग को विवाह के पश्चात अनैतिक कार्यों में लगाया जाए।

बाल विवाह के कुप्रभाव :–

- बाल विवाह से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में कमी आती हैं।
- बाल विवाह से बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण पर खराब असर पड़ता हैं।
- बाल विवाह से बच्चों के उत्पीडन व शोषण को बढ़ावा मिलता हैं।
- बाल विवाह से बच्चों की शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर समाप्त हो जाते है
- बाल विवाह से मातृत्व मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती हैं।

महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष कक्ष की स्थापनाः—

हरियाणा सरकार की विशिष्ट पहल द्वारा प्रत्येक जिला पुलिस मुख्यालय पर महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष कक्ष स्थापित किये गये हैं, जहां घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 व बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत संरक्षण एवं प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

उददेश्य :—

इस कक्ष का उददेश्य बाल विवाहों के आयोजन को रोकने संबंधी उचित कार्यवाही करना हैं।

बाल विवाह के आयोजन संबंधी जानकारी देने के लिए किस अधिकारी से सम्पर्क करें:—

- बाल विवाह के आयोजन संबंधी जानकारी प्रतिषेध अधिकारी / पुलिस / मजिस्ट्रेट को दी जा सकती हैं।
- प्रतिषेध अधिकारी द्वारा पुलिस के सहयोग से बाल विवाह रोकने संबंधी उचित कार्यवाही की जाती है।
- जरूरत पडने पर बाल विवाह को रोकने के लिए अदालत से निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त किये जाते हैं।

आप के आस पास के क्षेत्र में किसी बाल विवाह का आयोजन करवाया जा रहा हैं तो आप अपने अपने क्षेत्र से संबंधित अधिकारी के दिए गये निम्न मोबाइल नम्बरों पर तुरंत सूचना दें:–

जिला स्तर पर सरंक्षण एवंम प्रतिषेध अधिकारी

	जिला	अधिकारी	मोबाइल नं.
1	अम्बाला	शालिनी शर्मा	9466120444
2	भिवानी	हरबंस कौर	8607222475
3	फरीदाबाद	हेमा कौशिक	9210474464
4	फतेहाबाद	रेखा रानी	08814011719
5	गुडगाँव	मीना कुमारी	9968902506
6	हिसार	बबीता चौधरी	9729011052
7	झज्जर	माधवी लौहचब	9996051132
8	जींद	कृष्णा चौधरी	9466125312
9	कैंथल	सुनीता	9813453138
10	करनाल	सविता राणा	9466125250
11	कुरूक्षेत्र	दीपशिखा	9729920004
12	महेंन्द्रगढ	सरिता	9466117028

13	मेवात	मधु जैंन	9466200554
14	पंचकूला	सोनिया सभ्रवाल	9501144188
15	पानीपत	रजनी गुप्ता	9729022757
16	रेवाडी	नीलम शर्मा	9416327237
17	रोहतक	करमिंद्र कौर	9466106100
18	सिरसा	साधना मित्तल	9812031086
19	सोनीपत	भानू गौंड	9466111474
20	यमुनानगर	सीमा गर्ग	9992011022
21	पलवल	सुमन चौधरी	9813985280

अगर जिला मुख्यालय का कोई अधिकारी आपको तुरंत सहायता प्रदान नही करता तो आप सीधे तौर पर मुख्यालय पर निम्न से सम्पर्क कर सकते हैं। परामर्शदाता, निदेशालय पंचकूला **0172-2580349** या हमें ई मेल करें

consultantwcd@gmail.com

Website :-**www.wcdhry.gov.in**

E-mail:- wcd@hry.nic.in